UPMO010060702026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

<u>अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1645/2026</u>

धनपत राय सचदेवा आयु लगभग 66 वर्ष, पुत्र आशानन्द सचदेवा, निवासी–19ए, सेकेण्ड फ्लोर, एन–18 के पास, जगुपुरा एक्सटेंशन, थाना निजामुद्दीन, नई दिल्ली।

..... आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक), मुरादाबाद।

.....अभियोजक।

मुकमदा अपराध संख्या–1017/2002,
धारा–420 भा0दं0संहिता।
थाना–मझोला, जिला मुरादाबाद।

<u>27.05.2026</u>

1– आवेदक/अभियुक्त धनपत राय सचदेवा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–1017/2002, धारा–420 भा0दं0संहिता, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद के सम्बन्ध में अग्रिम जमानत हेतु यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र किसी भी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, विश्वसनीय सूचना के आधार पर दिनांक 02.08.2002 को दिन के लगभग 03:00 बजे जिला पूर्ति अधिकारी के निर्देशानुसार एस0के0 जौहरी पूर्ति निरीक्षक, मुरादाबाद, लल्लू सिंह वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक, एस0सी0 चौधरी पूर्ति निरीक्षक व दफ्तरी इलियास अहमद खां सहित विभागीय सरकारी जीप चालक सुंदर सिंह के गांव–लाकड़ी फाजलपुर, तहसील व जिला–मुरादाबाद पहुंचे, तो पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के समीप पीछे की ओर सालमैन्ट का एक गोदाम स्थित है, वहां पर अक्सर ट्रैक्टर से सालमैन्ट उतारा व निकलता रहता है। अतः मौके पर पहुंचकर देखा गया कि एक दुकान, जिसके मालिक मित्रपाल पुत्र डालचंद थे, से 19 ड्रम बरामद हुए, जिनमें से 15 ड्रमों में प्रत्येक में 200 लीटर सालमेन्ट व शेष चार ड्रमों में कुल 3588 लीटर

सालमेन्ट मौके पर बरामद हुआ। मौके पर सम्मी कुमार नागिया मिले, जिन्होंने बरामद सालमेन्ट को डी0आर0 सचदेवा का होना बताया, जिसे उनके द्वारा आठ–सात दिन पहले दिल्ली से आए ट्रैक्टर द्वारा यहां उतारा गया था। इस सालमेन्ट आदि की खरीद के संबंध में कैश मीमो व बिल के संबंध में पूछताछ करने पर सम्मी कुमार नागिया ने बताया व लिखित बयान दर्ज कराया कि, इस सालमेन्ट व थिनर के संबंध में उसके पास खरीद की कोई कैश मीमो दाखिल या कोई अन्य पर्चा नहीं है। उल्लेखनीय है कि, भारत सरकार द्वारा निर्गत उ0प्र0 सरकार द्वारा अडोप्टेड आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा–3 के अन्तर्गत ही जारी किये गये नियंत्रण आदेश सालमेंट, रैफीनेट का अर्जन, विक्रय भण्डारण एवं ऑटो मोबाइल में उपयोग का निवारण आदेश, 2000 यथा संशोधित का उल्लंघन है। इसके अतिरिक्त भारी मात्रा में सालमेन्ट की खरीद–बिक्री व भण्डारण बिना कैश मीमो व सुसंगत बिलों के किया जाना व ऐसा करने के लिए सालमेन्ट का भरण्डारण किया जाना साधारण के साथ धोखेबाजी करना है, जो भा0दं0सं0 की धारा–420, 467, 468 का उल्लंघन है। अतः बरामद 19 ड्रमों में लगभग 3588 लीटर सालमेन्ट व सम्मी कुमार नागिया अभियुक्त को कब्जे में लेकर सार्वजनिक रूप से मौके पर इस तहरीर को पढ़कर सुनाया गया तथा बिना लाइसेंस कैश मीमो व बिल के सालमेन्ट रखने व बेचने जैसे गैर कानूनी कार्य के सम्बन्ध में यह मामला दर्ज करने से उसे अवगत कराया यगा। यह तहरीर एस0सी0 चौधरी, पूर्ति निरीक्षक पैट्रोलियम अनुभाग, जिला पूर्ति कार्यालय, मुरादाबाद द्वारा बोल–बोलकर लिखायी गई।

4– आवेदक/अभियुक्त द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त को रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई भी सालमेन्ट किसी भी दुकानदार को नहीं बेचा है। आवेदक/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त को सह–अभियुक्त के बयान के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। उक्त मामले में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। मामला धारा–420, 467, 468 भा0दं0संहिता में दर्ज किया गया था, परंतु आरोप पत्र मात्र धारा–420 भा0दं0संहिता में ही दाखिल किया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने उक्त मुकदमें में किसी भी गवाह पर किसी भी प्रकार से कोई दबाव नहीं बनाया है और न ही उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया है, जो आपराधिक प्रवृत्ति में आता है। मामला सात साल से कम सजा का है। आवेदक/अभियुक्त जमानत देने को तैयार है तथा वह जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगा व विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा। आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी गवाह को कोई प्रलोभन, धमकी, वादा इत्यादि नहीं देगा और न ही न्यायालय में तथ्यों को

प्रस्तुत करने से रोकेगा। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा। अतः उपरोक्त आधारों पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गई है।

5— विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

6— अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7— इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था पी0 चिदम्बरम् बनाम प्रवर्तन निदेशालय क्रि0मि0 अपील नं0—1340/2019 निर्णीत दिनांक 09.09.2019 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अग्रिम जमानत उन्हीं मामलों में दी जानी चाहिए, जिनमें अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप आधारहीन तथा फर्जी प्रतीत होते हों।

8— इसके अतिरिक्त सुशीला अग्रवाल बनाम स्टेट (एन.सी.टी. ऑफ देहली) एवं अन्य, ए.आई.आर. ऑनलाइन 2020 एस.सी. पृष्ठ 74 में माननीय न्यायालय द्वारा यह मत अभिव्यक्त किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा अभियुक्त की भूमिका, आरोप, आरोपित अपराध की प्रकृति व गम्भीरता, आवेदक के पूर्व कृत्य विशेषकर पूर्व में दोषसिद्धि आदि, आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भागने की सम्भावना, आवेदक द्वारा पुनः अपराध कारित करने की सम्भावना, आरोप आवेदक को नुकसान पहुॅचाने की नियत से लगाये जाने, अग्रिम जमानत स्वीकार करने से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, आवेदक को धारा—34 व धारा—149 भा0दं0संहिता की सहायता से आरोपित करने की परिस्थिति, आवेदक को स्वतंत्र विचारण से प्रीज्युडिस होने और उसके निरूद्ध रहने से उसकी प्रताड़ना होने, आवेदक की अभिरक्षा अनुचित होने, आवेदक द्वारा साक्षियों को तोड़ने—मोड़ने और वादी को धमकी देने की परिस्थिति आदि तथ्यों पर विचारण करना चाहिए।

9— अभियोजन के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण भारत सरकार द्वारा निर्गत एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा अडोप्टेड आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा—3 के अन्तर्गत जारी किये गये नियंत्रण आदेश के उल्लंघन में सालमेन्ट का भण्डारण करके जन साधारण के साथ छल करने से सम्बन्धित है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। अभियोजन के अनुसार प्रारम्भ में आवेदक/अभियुक्त ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष एक दाण्डिक याचिका संख्या—4784/2002, डी0आर0 सचदेवा

बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य प्रस्तुत की थी, जिसमें पारित आदेश दिनांकित 23.08.2002 के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अग्रिम आदेश तक आवेदक/अभियुक्त की गिरप्तारी पर रोक लगा दी थी तथा प्रकरण की विवेचना विधिनुसार जारी रखने हेतु निर्देशित किया गया था। अभियोजन के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार किये बिना ही आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2023 को प्रसंज्ञान लिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की बेवसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दाण्डिक याचिका संख्या–4784/2002 निस्तारित की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त के न्यायालय से अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध दिनांक 23.11.2004 से गैर जमानतीय अधिपत्र जारी हैं तथा वर्ष 2018 में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध धारा–82 दं0प्र0संहिता व वर्ष 2025 में धारा–83 दं0प्र0संहिता की कार्यवाही अमल में लाये जाने हेतु आदेश पारित किये गये हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि–व्यवस्था **प्रेम शंकर प्रसाद बनाम बिहार राज्य, क्रिमिनल अपील नं0–1209/2021** में यह मत व्यक्त किया है कि, यदि किसी अभियुक्त के विरूद्ध वारण्ट जारी किया गया है और वह अभियुक्त ऐसे वारण्ट के निष्पादन से बचने के लिए भाग रहा है और उसे धारा–82 दं0प्र0संहिता के अन्तर्गत भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। अभियोजन के अनुसार आवेदक/अभियुक्त पिछले लगभग 23 वर्षों से न्यायालय से अनुपस्थित चल रहा है, जिसके कारण मामला अनावश्यक रूप से लम्बित चला आ रहा है। आवेदक/अभियुक्त ऐसा कोई भी आधार दर्शित करने में असफल रहा है, जिससे उसकी प्रश्नगत मामले में संलिप्तता आधारहीन एवं फर्जी प्रतीत होती हो। अतः आवेदक/अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त धनपत राय सचदेवा द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–1017/2002, धारा–420 भा0दं0संहिता, थाना मझोला, जिला मुरादाबाद के मामले में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक 27.05.2026

(अनिल कुमार–IV)
कृते सत्र न्यायाधीश/
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–01,
मुरादाबाद।
I.D.No. UP6124